



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062024-254601  
CG-DL-E-07062024-254601

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 399]  
No. 399]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 6, 2024/ज्येष्ठ 16, 1946  
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2024/JYAISHTHA 16, 1946

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2024

फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -

तालिका में,-

1. पश्चिमी क्षेत्र से सम्बंधित 'ख' में,

(1) गुजरात के नीचे,

(क) क्रम संख्या 3 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“3.	गुजरात टेस्टलैब प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद पंजीकरण सं. 29/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2016 एफ-16,17, माधवपुरा मार्केट, शाहीबाग, अहमदाबाद, गुजरात	जैविक रासायनिक”;

(ख) क्रम संख्या 17 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“17.	एनडीडीबी काफ लिमिटेड, आनंद पंजीकरण सं. 59/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2021 काफ़, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), आनंद, गुजरात	जैविक रासायनिक”;

(ग) क्रम संख्या 18 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“19.	यूरेका एनालिटिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उंझा पंजीकरण सं. 70/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2024 मानेकवाड़ी, विसनगर रोड, उंझा, महेसाणा, गुजरात	जैविक रासायनिक”;

(2) महाराष्ट्र के नीचे, क्रम संख्या 36 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“37.	ब्यूरो वेरिटास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुंबई पंजीकरण सं. 71/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2024 प्लॉट सं. बी3/बी4, टीटीसी आईएनडी एरिया, दीघा, एमआईडीसी, दीघा, नवी मुंबई, ठाणे, महाराष्ट्र	जैविक रासायनिक”;

2. दक्षिण क्षेत्र से सम्बंधित 'ग' में,

(1) कर्नाटक के नीचे, क्रम संख्या 20 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"21.	बेंगलूर एनालिटिकल रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूर पंजीकरण सं. 87/एस/एफएसएसआई/2024 सर्वे सं. 57, विजयराज एस्टेट, चोक्कनाहल्ली, जक्कुर पोस्ट, बेंगलूर, कर्नाटक	जैविक रासायनिक";

(2) आंध्र प्रदेश के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 5 और कॉलम (2) और (3) में उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./166/2024-25]

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित की गई:

- का.आ. संख्या 567 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
- का.आ. संख्या 1595 (अ), दिनांक 15 मई, 2017;
- का.आ. संख्या 1965 (अ), दिनांक 20 जून, 2017;
- का.आ. संख्या 2316 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 2017;
- का.आ. संख्या 3068 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2017;
- का.आ. संख्या 3279 (अ), दिनांक 29 सितंबर, 2017;
- का.आ. संख्या 4083 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2017;
- का.आ. संख्या 848 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2018;
- का.आ. संख्या 1516 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2018;
- का.आ. संख्या 2426 (अ), दिनांक 13 जून, 2018;
- का.आ. संख्या 6207 (अ), दिनांक 12 दिसम्बर, 2018;
- का.आ. संख्या 1377 (अ), दिनांक 08 मार्च, 2019;
- का.आ. संख्या 1722 (अ), दिनांक 08 मई, 2019;
- का.आ. संख्या 2842 (अ), दिनांक 06 अगस्त, 2019;
- का.आ. संख्या 3428 (अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2019;
- फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 फरवरी, 2020;
- फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 23 जुलाई, 2020;
- फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 04 दिसम्बर, 2020;
- फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 12 जनवरी, 2021;
- फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 फरवरी, 2021;
- फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 मार्च, 2021;
- फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 02 जून, 2021;
- फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 25 जून, 2021;

24. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 02 सितंबर, 2021;
25. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 08 अक्टूबर, 2021;
26. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 27 अक्टूबर, 2021;
27. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 31 जनवरी, 2022;
28. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 24 मार्च, 2022;
29. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 29 अप्रैल, 2022;
30. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 31 मई, 2022;
31. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 07 जुलाई, 2022;
32. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 29 जुलाई, 2022;
33. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 सितंबर, 2022;
34. फा. सं. क्यूए-12012/6/2021-आरएआरडी-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 11 अक्टूबर, 2022;
35. फा. सं. क्यूए-12012/6/2021-आरएआरडी-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 18 अक्टूबर, 2022;
36. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 दिसंबर, 2022;
37. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 28 दिसंबर, 2022;
38. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 23 मार्च, 2023;
39. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 18 अक्टूबर, 2023; और
40. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 07 दिसंबर, 2023।

**FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th June, 2024

**F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI.**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6<sup>th</sup> December, 2016, namely: -

In the table,

1. In 'B' related to WESTERN REGION,

(1) under *Gujarat*,

(a) for serial number 3, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"3.	Gujarat Testlab Private Limited, Ahmedabad Reg. No. 29/W/FSSAI/2016 F-16,17, Madhavpura Market, Shahibaug, Ahmedabad, Gujarat	Biological Chemical";

(b) for serial number 17, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"17.	NDDB CALF LTD., Anand Reg. No. 59/W/FSSAI/2021 CALF, National Dairy Development Board (NDDB), Anand, Gujarat	Biological Chemical";

(c) after serial number 18, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"19.	Eureka Analytical Services Private Limited, Unjha Reg. No. 70/W/FSSAI/2024 Manekvadi, Visnagar Road, Unjha, Mahesana, Gujarat	Biological Chemical";

(2) under *Maharashtra*, after serial number 36, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"37.	Bureau Veritas India Pvt. Ltd., Navi Mumbai Reg. No. 71/W/FSSAI/2024 Plot No. B3/B4, TTC IND Area, Digha MIDC, Digha, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra	Biological Chemical";

2. In 'C' related to SOUTHERN REGION,

(1) under *Karnataka*, after serial number 20, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"21.	Bangalore Analytical Research Centre Pvt. Ltd., Bengaluru	Biological

Reg. No. 87/S/FSSAI/2024	Chemical";
Survey No 57, Vijayaraja Estate, Chokkanahalli, Jakkur Post, Bengaluru, Karnataka	

(2) under **Andhra Pradesh**, at serial number 5, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./166/2024-25]

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. number 3648 (E), dated the 6<sup>th</sup> December, 2016 and subsequently amended *vide* notification numbers:

1. S.O. number 567 (E), dated the 20<sup>th</sup> February, 2017;
2. S.O. number 1595(E), dated the 15<sup>th</sup> May, 2017;
3. S.O. number 1965 (E), dated the 20<sup>th</sup> June, 2017;
4. S.O. number 2316(E), dated the 24<sup>th</sup> July, 2017;
5. S.O. number 3068 (E) dated the 14<sup>th</sup> September, 2017;
6. S.O. number 3279 (E) dated the 29<sup>th</sup> September, 2017;
7. S.O. number 4083 (E) dated the 22<sup>nd</sup> December, 2017;
8. S.O. number 848(E) dated the 19<sup>th</sup> February, 2018;
9. S.O. number 1516 (E) dated the 28<sup>th</sup> March, 2018;
10. S.O. number 2426(E) dated the 13<sup>th</sup> June, 2018;
11. S.O. number 6207 (E) dated the 12<sup>th</sup> December, 2018;
12. S.O. number 1377(E) dated the 08<sup>th</sup> March, 2019;
13. S.O. number 1722 (E) dated the 08<sup>th</sup> May, 2019;
14. S.O. number 2842 (E) dated the 06<sup>th</sup> August, 2019;
15. S.O. number 3428 (E) dated the 18<sup>th</sup> September, 2019;
16. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 13<sup>th</sup> February, 2020;
17. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 23<sup>rd</sup> July, 2020;
18. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 04<sup>th</sup> December, 2020;
19. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 12<sup>th</sup> January, 2021;
20. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 10<sup>th</sup> February, 2021;
21. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 10<sup>th</sup> March, 2021;
22. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 02<sup>nd</sup> June, 2021;
23. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 25<sup>th</sup> June, 2021;
24. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 02<sup>nd</sup> September, 2021;
25. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 08<sup>th</sup> October, 2021;
26. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 27<sup>th</sup> October, 2021;
27. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 31<sup>st</sup> January, 2022;
28. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 24<sup>th</sup> March, 2022;

29. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 29<sup>th</sup> April, 2022;
30. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 31<sup>st</sup> May, 2022;
31. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 7<sup>th</sup> July, 2022;
32. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 29<sup>th</sup> July, 2022;
33. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 13<sup>th</sup> September, 2022;
34. F. No. QA-12012/6/2021-RARD-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 11<sup>th</sup> October, 2022;
35. F. No. QA-12012/6/2021-RARD-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 18<sup>th</sup> October, 2022;
36. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 13<sup>th</sup> December, 2022;
37. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 28<sup>th</sup> December, 2022;
38. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 23<sup>rd</sup> March, 2023;
39. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 18<sup>th</sup> October, 2023;  
and
40. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 7<sup>th</sup> December, 2023.